

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

का. आ. संख्या - प्रशा. (ले.प.) - प्रो./लेखापरीक्षक/2021-22/ग - 352

दिनांक: 30.12.2021

कार्यालय आदेश

उप महालेखाकार (प्रशासन) ने निम्नलिखित क्लर्क एवं एम.टी.एस. को लेखापरीक्षक के पद पर स्थानापन्न रूप से वेतन मैट्रिक्स के लेवल 5 (Level 5) के वेतनमान (रु. 29200 - रु. 92300) में दिनांक 01.01.2022 या लेखापरीक्षक के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रोन्नति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है: -

क्रम सं.	यू.आई.डी. सं.	नाम (श्री)	पदनाम	कोटि (Quota)
1.	BHPTA3031410	सुजात कुमार (Sujat Kumar)	लिपिक	वरीयता कोटि
2.	BHPTA3031716	दीपक कुमार (Dipak Kumar)	एम.टी.एस.	परीक्षा कोटि

DoPT's के O.M. सं AB-14017/17/2018-Estt.RR दिनांक 12.08.2021 के आलोक में श्री सुजात कुमार की उक्त पद पर प्रोन्नति दिनांक 01.01.2022 या लेखापरीक्षक के पद पर उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से notional मानी जाएगी। लेखापरीक्षक के पद पर वास्तविक लाभ उनके लिपिक के पद पर पाँच वर्ष पूरे करने की तिथि जो कि 03.04.2022 है, से देय होगा। साथ ही, श्री सुजात कुमार को लेखापरीक्षकों के लिए निर्धारित विभागीय परीक्षा को निर्धारित छः (6) अवसरों में उत्तीर्ण करना होगा। निर्धारित अवसरों में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने के फलस्वरूप उन्हें लिपिक के पद पर पदावनत कर दिया जाएगा।

प्रोन्नति के फलस्वरूप उक्त पद पर उनकी वरीयता अगले आदेश तक औपबंधिक मानी जाएगी। साथ ही, उपरोक्त प्रोन्नति, DoPT के O.M. No. 36012/11/2016-Estt. (Res.I) (Pt.II) दिनांक 15.06.2018 के पैरा 5 के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भविष्य में दिए जाने वाले आदेशों एवं निर्णयों के अधीन होगी।

प्रोन्नत कर्मों, FR 22 - I (a) (1) में दिए गए शर्तों के अनुसार वेतन के निर्धारण संबंधी विकल्प, प्रोन्नति के एक माह के भीतर समर्पित कर सकते हैं। प्रोन्नत कर्मों का वेतन निर्धारण, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के अधिसूचना सं. 1-2/2016-IC दिनांक 25.07.2016 में वर्णित प्रावधानों के द्वारा निर्गत केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियमावली 2016 के नियम 13 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत किया जाएगा।

ह./-

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई एवं सूचनार्थ प्रेषित:-

1. सचिव, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना।
2. सभी स्कन्ध अधिकारी, स्थानीय।
3. सभी नियंत्रि वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी।
4. वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी - दावा - I, दावा - II, सामान्य अनुभाग, ए.एम.जी IV, प्रशी. एवं परी. तथा ए.एम.एस.।
5. वेतन एवं लेखा अधिकारी (लेखापरीक्षा), कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले.एवं.हक.) बिहार पटना।
6. संबन्धित व्यक्ति।
7. सूचना पट्ट/ कार्यालय आदेश संचिका।

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)